पत्रांक- ना0सु0/2/2026-SEC_2-UDHD DEPT /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०-48-2217-01-001-0002 के अन्तर्गत सहायक अनुदान वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर-वेतन मद में कुल रू० 16561050.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार पचास रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनादि/ मानदेय एवं अन्य मदों में व्यय हेतु सहायक अनुदान-वेतन मद तथा सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल रू० **16561050.00** (एक करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार पचास रूपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः-

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	0002-31-04 सहायक अनुदान-वेतन	11776050.00
2	0002-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन	4785000.00
	योग-	**16561050.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि रू० 16561050.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार पचास रूपये) मात्र।

2. **उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के PL खाता सं०-PBBPLA001 में CFMS के माध्यम से Inter Department विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 के निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०-48-2217010010002 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ का अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकास एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e संचिका संख्या- ना0सु0/2/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note No-3 पर दिनांक-28/07/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No-7 पर दिनांक-28/07/26 को प्राप्त है।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- ना0सु0/2/2026-SEC_2-UDHD DEPT 121 **/न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक-** 29.7.26

प्रतिलिपिः- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।